

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

क्रमांक ई 2(69)/ग्रा.वि./नरेगा/09

जयपुर, दिनांक : 2-10-10

परिपत्र

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक ई. 2(64)ग्रा.वि./नरेगा/09 दिनांक 27 जुलाई, 2009 द्वारा ग्राम पंचायतों के स्तर पर सामग्री क्रय के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गये थे। पूर्व दिशा निर्देश के द्वारा यह निर्देश दिए गये थे कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत निर्माण सामग्री हेतु पंचायत समिति द्वारा वर्ष भर के लिए दर संविदा की निविदाएं आमंत्रित कर अंतिम रूप दिया जायेगा एवं उक्त दर संविदा पंचायत समिति की अधिकारिता वाली सभी ग्राम पंचायतों पर आवश्यक रूप से लागू होगी। उक्त परिपत्र में दर संविदा निर्धारित करने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश भी दिए गए थे।

उपरोक्त परिपत्र में दिए गये निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक के निर्देशन में पंचायत समिति अथवा पंचायतों के समूह के लिए सामग्री की दर संविदा निर्धारित करने के प्रयास किए गए परन्तु पंचायत स्तर पर सामग्री क्रय की इस व्यवस्था को लागू करने में निम्नानुसार व्यावहारिक कठिनाईयां उत्पन्न हुई :-

- (i) विभिन्न सामग्रियों के लिए विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से समन्वय करने में कठिनाई।
- (ii) किसी भी एक महत्वपूर्ण सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब होने से निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न होना।
- (iii) निविदा आमंत्रित करने में प्रतिस्पर्धा के कारण अत्यधिक न्यूनतम दरें प्राप्त होना।
- (iv) पंचायत समिति तथा महात्मा गांधी नरेगा में कार्यरत अन्य विभागों द्वारा सामग्री आपूर्ति की प्रक्रिया में भिन्नता होना।
- (v) आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सामग्री को पंचायत स्तर तक पहुंचाने में परिवहन में कठिनाई होने तथा विलम्ब से सामग्री की आपूर्ति करना।
- (vi) आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से आपूर्ति कराना।
- (vii) आपूर्तिकर्ता फर्म का ग्राम पंचायत के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होना।
- (viii) विभिन्न सामग्रियों के लिए निर्धारित आपूर्तिकर्ता फर्म के मध्य परस्पर समन्वय का अभाव।



- (ix) सरपंचों के स्तर पर आपूर्तिकर्ता फर्म से समन्वय में निर्णय लेने में भागीदार नहीं होने से निर्माण कार्य में अपेक्षित रूचि नहीं होना।
- (x) कम मात्रा में आपूर्ति आदेश प्राप्त होने से आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा रूचि नहीं लेना।
- (xi) अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में सामग्री क्रय की प्रक्रिया में सरपंचों के अनुरूप महात्मा गांधी नरेगा में सरपंचों की भूमिका निर्धारित नहीं है।
- (xii) आपूर्तिकर्ता फर्मों द्वारा घटिया किस्म की सामग्री सप्लाई करना अथवा तोल माप में कम सप्लाई करना।

उपरोक्त सभी कठिनाईयों की गहनता से अध्ययन करने तथा पंचायतीराज संस्थाओं की ओर से सामग्री और सेवाओं की खरीद के लिए मौजूदा कानूनी और प्रशासनिक ढांचे का अध्ययन करने तथा इससे जुड़े अन्य पहलुओं के साथ-साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर क्रियान्वयन योग्य सुझाव/रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के आदेश क्रमांक एफ 20(41)ग्रावि/3/नरेगा/2010 दिनांक 18/08/10, 06/09/10 व 07/09/10 द्वारा शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज, महात्मा गांधी नरेगा से संबंधी विभागीय अधिकारियों के अलावा जिला प्रमुख बाड़मेर, सरपंच ग्राम पंचायत सिंगनोर, पंचायत समिति उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं, सरपंच, ग्राम पंचायत, रीजोन पंचायत समिति बकानी, जिला झालावाड़, सरपंच, ग्राम पंचायत, रूपपुरा पंचायत समिति आसीन्द, जिला भीलवाड़ा भी सदस्य थे।

उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट 11 सितम्बर, 2010 को प्रस्तुत कर दी है। अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने अपने पत्र दिनांक 6.9.2010 द्वारा उपरोक्त वर्णित परिपत्र दिनांक 27.7.2009 को वापिस लिए जाने की सलाह दी है। समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में दिए गए सुझाव के आधार पर पंचायती राज नियम 1996 में संशोधन किया जाना वांछनीय है। चूंकि प्रस्तावित संशोधन लाने में कुछ समय लगने की संभावना है, अतः अंतरिम व्यवस्था के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित परिपत्र दिनांक 27 जुलाई, 2009 के अधिक्रमण में पंचायतों द्वारा सामग्री एवं सेवाएँ क्रय करने के संबंध में निम्न दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं:-

1. पंचायतों द्वारा सामग्री अथवा सेवाओं का क्रय, मूलतः पंचायत राज नियम 1996 के नियम 183 से 192 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा सिवाय उन प्रावधानों के जिनमें समिति के सुझावानुसार संशोधित प्रक्रिया अपनाई जानी है।
2. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 186 (2)(क) में वर्णित पंचायत स्तरीय क्रय समिति में शामिल चार सदस्यों के अलावा वित्त एवं अभियांत्रिकी सेवा के अधिकारियों को आवश्यक रूप से पांचवें एवं छठें सदस्य के रूप में शामिल किया जायेगा एवं इनकी अनुपस्थिति में क्रय समिति की कार्यवाही सम्पन्न नहीं मानी जायेगी।



3. जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वो आवश्यकतानुसार अपने अपने क्षेत्राधिकार में जहां पंचायतीराज संस्थाओं की टेण्डर प्रक्रिया पूरी की जा रही है, उनमें सहयोग करने के लिए वित्त व अभियांत्रिकी सेवा के कर्मचारी/अधिकारियों को चाहे वे किसी भी विभाग में कार्यरत हों, मनोनीत कर सकेंगे ताकि ग्राम पंचायत जैसी संस्थाएं जो संख्या में अधिक हैं, वे अपनी स्वयं क्य समिति के माध्यम से सरपंच की अध्यक्षता में इन वित्त व अभियांत्रिकी सेवा के कर्मचारियों/अधिकारियों के सहयोग से सरलता व दक्षता से अपनी टेण्डर प्रक्रिया सम्पन्न कर सकें।
4. संबंधित पंचायती राज संस्था द्वारा पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 183 एवं 184 के तहत सीमित अथवा खुली निविदा के माध्यम से क्य की जाने वाली सामग्री अथवा सेवाओं की दरें संबंधित सामग्री के लिये निर्धारित नवीनतम बी.एस.आर. दरों से अधिक नहीं होंगी।
5. यदि उपरोक्त वर्णित बिन्दु संख्या 2 अनुसार गठित पंचायत स्तरीय क्य समिति द्वारा सीमित अथवा खुली निविदा के माध्यम से आमंत्रित दरें नवीनतम बी.एस.आर. दरों से दस प्रतिशत तक अधिक हों तो संबंधित पंचायत द्वारा ऐसे प्रकरण अधिकतम एक सप्ताह में पंचायत समिति कार्यालय में प्रेषित किए जायेंगे तथा इस संबंध में प्रकरणवार निर्णय विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा जिसके अन्य सदस्य पंचायत समिति में कार्यरत एवं नियमित रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति क्षेत्र के लिये कार्यरत सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सहायक अभियन्ता, सिचाई विभाग, कनिष्ठ लेखाकार तथा जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में पंचायत समिति मुख्यालय में कार्यरत राजपत्रित अधिकारी होंगे। पंचायत समिति में सहायक अभियन्ता के पद के रिक्त होने की स्थिति में विकास अधिकारी द्वारा अन्य विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ता को सदस्य बनाया जा सकता है। इस समिति के सदस्य सचिव पंचायत समिति कार्यालय में कार्यरत एवं नियमित रूप से नियुक्त सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता होंगे।
6. यदि उपरोक्त वर्णित बिन्दु संख्या 2 अनुसार गठित पंचायत स्तरीय क्य समिति द्वारा सीमित अथवा खुली निविदा के माध्यम से आमंत्रित दरें नवीनतम बी.एस.आर. दरों से 10 प्रतिशत से अधिक एवं 25 प्रतिशत तक अधिक हों तो संबंधित पंचायत द्वारा ऐसे प्रकरण पंचायत समिति कार्यालय में प्रेषित किए जायेंगे जहां संबंधित पंचायती समिति के स्तर पर उपरोक्त बिन्दु संख्या 5 में विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा इनका परीक्षण कर अपनी टिप्पणी/अनुशंसा के साथ अधिकतम एक सप्ताह में जिला कलेक्टर को प्रेषित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार पंचायत समिति के माध्यम से प्राप्त ऐसे प्रकरणों का परीक्षण ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2010 के बिन्दु संख्या 8.1 अनुसार जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित दर निर्धारण समिति द्वारा में किया जायेगा जिसमें



परियोजना अधिकारी (लेखा), जिला परिषद् अधिशाषी अभियंता, नरेगा, जिला परिषद् एवं जिला स्तर पर उद्योग विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी को भी आवश्यक रूप से शामिल किया जायेगा। इस समिति द्वारा गुणावगुण के आधार पर प्रकरणवार निर्णय अधिकतम दस दिवस में लिया जायेगा।

7. भुगतान के लिए जारी एक हजार रुपये से अधिक राशि के सभी चैक्स, अकाउण्टपेई ही होंगे। स्थाई अग्रिम/पेशगी की राशि के भुगतान की प्रक्रिया बिन्दु संख्या 8 अनुसार होगी।
8. पंचायतों के लिए पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 211(3) के तहत निर्धारित पांच सौ रुपये की स्थाई अग्रिम राशि को वित्त विभाग के आईडी क्रमांक 101003608 दिनांक 1.10.2010 के अनुसरण में पंचायतों के लिए वर्तमान में निर्धारित 500/-रुपये की सीमा को बढ़ाकर 10,000/-रुपये की जाती है तथा पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के लिए वर्तमान में निर्धारित 2,000/-रुपये की सीमा को बढ़ाकर 25,000/-रुपये की जाती है। इस राशि को उक्त नियम 211(3) में निर्धारित प्रावधानों के अलावा निर्माण कार्य के उन मदों पर व्यय किया जा सकता है जिनका भुगतान रेखांकित चैक के माध्यम से किया जाना संभव नहीं है परन्तु ऐसी स्थिति में प्रकरणवार कारणों को अभिलिखित किया जायेगा तथा पंचायत के कार्यवाही विवरण में इस आशय का अंकन किया जायेगा एवं इसके उपरान्त ही प्रकरणवार आवश्यक राशि बेयरर चैक (Bearer Cheque) के माध्यम से बैंक से निकाली जा सकेगी।
9. राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 188(1) के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्य के संबंध में सभी निर्णयों का, क्रियान्विति से पूर्व उस पंचायत राज संस्था की बैठक में आवश्यक रूप से अनुमोदन कराया जायेगा।
10. पंचायत स्तरीय क्रय समिति की बैठकें पंचायत अथवा पंचायत समिति कार्यालय में आवश्यकतानुसार आयोजित की जा सकती हैं।
11. चूंकि सभी पंचायतों को उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर अपनी आवश्यकतानुसार सामग्री तथा सेवाएँ क्रय करने का अधिकार दिया गया है अतः समस्त पंचायतें अपने स्तर पर निविदाएँ आमंत्रित करेगी जिसकी वजह से विज्ञापन पर अत्यधिक व्यय होने की संभावना है। विज्ञापन पर होने वाले व्यय को नियंत्रित करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाया जाना उचित होगा:-  
(अ) विज्ञापन जारी करने से पूर्व सर्व प्रथम उपरोक्त प्रक्रियानुसार पंचायत स्तरीय क्रय समिति की बैठक आयोजित कर पंचायत के अन्तर्गत कराये जाने वाले विकास कार्यों में प्रयोग में ली जाने वाली विभिन्न सामग्री का आकलन कर लिया जाए। इस प्रकार से आकलन की गई सामग्री एवं उसकी मात्रा की एक सूची तैयार की जाये जिस पर क्रय



समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर कराये जाये तथा इसकी एक प्रति पंचायत कार्यालय में तथा एक प्रति संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी तथा सहायक अभियंता को उपलब्ध कराई जाये।

(ब) पंचायत अथवा पंचायतों की ओर से पंचायत समिति द्वारा प्रकाशित की जाने वाली निविदा सूचना के संबंध में पंचायती राज नियम 1996 के नियम 185 की पूर्ण पालना की जाएगी।

(स) समाचार पत्रों में निविदा के प्रकाशन का प्रारूप जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक की अध्यक्षता में नरेगा के प्रयोजनार्थ गठित कय समिति द्वारा, इस परिपत्र के जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया जाएगा, जिससे कि निविदा प्रकाशन में न केवल मितव्ययता रहे बल्कि निविदा प्रारूप में एकरूपता भी बनी रहे।

(द) पंचायतों द्वारा विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी को निविदा प्रकाशन के एक सप्ताह पूर्व यह सूचित किया जायेगा कि सामग्री/सेवाएँ कय करने हेतु निविदा फार्म कब और कहां पर उपलब्ध होंगे तथा निविदाएँ किस तारीख को, किस समय, कहां और किस कार्यालय में खोली जायेंगी जिससे कि पंचायत स्तरीय कय समिति की बैठकों में वित्त व अभियांत्रिकी सेवा के अधिकारीगण अनिवार्य रूप से भाग ले सकें।

(य) प्रकाशित निविदा की एक प्रति आमजन के सूचनार्थ पंचायत तथा पंचायत समिति के कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रकाशित कर दी जाये जिससे कि आम जनता को भी इसकी पूरी जानकारी मिल सके।

(र) सीलबन्द निविदा फार्म जमा कराने के लिये पंचायत द्वारा तैयार किये गए टेण्डर बॉक्स को कय समिति के न्यूनतम तीन पदाधिकारियों के समक्ष तैयार कर एवं ताला लगाकर सील कर सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा, जिससे कि निविदाकर्ता को निविदा फार्म जमा कराने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। सीलबन्द निविदा फार्म जमा कराने के लिये तैयार किये गए टेण्डर बॉक्स को तैयार करने के संबंध में कार्यवाही विवरण तैयार किया जाकर इन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करवा लिये जाएं तथा इसे ऑफिस रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाए।

(ल) पंचायत स्तरीय कय समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त निविदा फार्म को प्राप्त करने हेतु रखे गये टेण्डर बॉक्स को तत्काल सील कर इस आशय का कार्यवाही विवरण तैयार कर पंचायत कार्यालय के न्यूनतम तीन पदाधिकारियों के समक्ष सील कर दिया जाए तथा इस कार्यवाही विवरण पर पदाधिकारियों के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए जाए एवं इसे ऑफिस रिकार्ड के रूप में



सुरक्षित रखा जाए। पंचायत कार्यालय में टेण्डर बॉक्स को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम सेवक की होगी।

(व) निविदाओं के खोलने, अस्वीकृति-स्वीकृति, नई निविदाएं आमन्त्रित करने के संबंध में पंचायती राज नियम 1996 के नियम 186 से 189 की पालना सुनिश्चित की जाएगी।

(स) पंचायती राज नियम 1996 के नियम 190 के अनुसार पंचायतें सहकारिता विभाग के क्रय-विक्रय सहकारी समिति अथवा ग्राम सेवा सहकारी समिति से भी नियमानुसार सामग्री क्रय करने के लिये स्वतन्त्र होंगी।

12. पंचायत स्तरीय क्रय समिति के सदस्यों को उपरोक्त वर्णित निविदा प्रक्रिया से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी/प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए, जिससे कि पंचायतों द्वारा सामग्री/सेवाएँ उपरोक्त प्रक्रियानुसार क्रय करने में प्रशासनिक कठिनाई न हो। जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक के निर्देशन में सर्व प्रथम जिला स्तर पर जिले की समस्त पंचायत समितियों में कार्यरत सहायक अभियंता, नियमित रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियंतागण तथा लेखाकार एवं जिला परिषद् में कार्यरत परियोजना अधिकारी (लेखा), ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, सहायक लेखाधिकारी(नरेगा) तथा लेखाधिकारी जिला परिषद् को इस प्रक्रिया के संबंध में समुचित जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाये तथा तत्पश्चात् पंचायत समितिवार ,पंचायत समिति में कार्यरत लेखा सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, ग्राम सेवक, ग्राम रोजगार सहायक, सरपंचगण का भी इस संबंध में प्रशिक्षण आयोजित कर उन्हें भी इस प्रक्रिया के संबंध में समुचित जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाये ।

13. महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में पूर्व से ही वित्तीय अनुशासन हेतु उठाये गये निम्न कदम यथावत् रखे जाते हैं:-

(i) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जारी आदेश क्रमांक:एफ.2(64) ग्रावि/नरेगा/09-10 दिनांक 16.11.2009 के तहत रिवाँल्विंग फण्ड संबंधित निर्देश जिसके तहत 1500 जॉब कार्ड वाली पंचायतों को एक बार में 4 लाख रुपये का रिवाँल्विंग फण्ड दिया जावेगा तथा 1500 से अधिक जॉब कार्ड वाली पंचायतों को 5 लाख रुपये का रिवाँल्विंग फण्ड दिया जावेगा तथा उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही नई किश्त दी जावेगी।


(ii) महात्मा गांधी नरेगा योजना के सुचारु क्रियान्वयन के संबंध में परिपत्र क्रमांक : एफ.2(64) ग्रावि/नरेगा/09-10 दिनांक 08.02.2010 के तहत नरेगा स्थाई समिति का गठन किया गया है इसमें यह प्रावधान किया गया है कि नरेगा स्थाई समिति की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् ही सामग्री क्रय के बिलों का भुगतान किया जावेगा। इस व्यवस्था के लागू होने से सामग्री क्रय की एजेन्सी

तथा भुगतान करने की एजेन्सी पृथक पृथक हो गई है जिससे कि सामग्री के बिलों के भुगतान में वांछित पारदर्शिता रहती है।

14. पंचायतें मात्र इसी वित्तीय वर्ष (2010-11) में पूर्व में पंचायत समिति स्तर पर निष्पादित दर संविदा के आधार पर अथवा उपरोक्त व्यवस्था अनुसार सामग्री/सेवाएँ क्रय करने के लिये स्वतंत्र होंगी।

यद्यपि समिति द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर पंचायती राज नियम 1996 में समस्त आवश्यक संशोधन के आधार पर नवीन व्यवस्था 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावशील होगी तथापि अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत पंचायतों द्वारा सामग्री क्रय की व्यवस्था को तुरन्त प्रभाव से लागू करने के उद्देश्य से जारी किये जाने वाला यह परिपत्र जारी होने की तिथि से 31 मार्च, 2011 तक अथवा पंचायती राज नियम, 1996 में समस्त आवश्यक संशोधन होने के उपरांत जारी होने वाले आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

भवदीय



(सी.एस.राजन)

प्रमुख शासन सचिव

ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
5. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस एवं शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद/अति० जिला कार्यक्रम समन्वयक, जोधपुर।
9. समस्त परियोजना अधिकारी लेखा, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी (नरेगा), जिला परिषद।
10. समस्त विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि इस परिपत्र की प्रति पंचायत समिति में कार्यरत समस्त ग्राम सेवक, ग्राम रोजगार सहायक, सरपंच, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखाकार, लेखा सहायक को उपलब्ध कराकर उनके हस्ताक्षर लिए जाये तथा उसकी एक-एक प्रति जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी प्रेषित करें तथा मूल प्रति अपने कार्यालय में भी सुरक्षित रखें।
11. रक्षित पत्रावली।



मुख्य लेखाधिकारी,  
पंचायती राज विभाग